न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 16.01.2024

नारायण पुत्र हरगोपाल जाति जाट निवासी ग्राम बडलाल तहसील देवली जिला टोंक

......अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

......रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा दिनांक 27.12.2023
मिसल नम्बर 610 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री शंकर चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 18.10.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 72 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रामथला में से 37x90 वर्गफीट यानि लगभग 0.0350 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी–3 सिवायचक वाके ग्राम रामथला पर नींव भरकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 0.24 रूपये का 50 गुणा जुर्माना कुल 12 रूपये आयद करने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी तथा बिना तामील के उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया और अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और [illegible] की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

जाकर स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्टस का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। हलका पटवारी ने बिना मौके पर गये ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी तथा अपीलान्टस को हलका पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 27.12.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 72 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रामथला में से 37x90 वर्गफीट यानि लगभग 0.0350 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी–3 सिवायचक वाके ग्राम रामथला पर नींव भरकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर नींव भरकर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार नासिरदा से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार नासिरदा ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 04.10.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा के निर्णय दिनांक 27.12.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती हैं कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

[illegible]
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक